प्रस्तावित सनातन सेवा निधि अधिनियम के संदर्भ में कुछ संवैधानिक प्रश्नों पर टिप्पणी संविधान विशेषज्ञों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु

—ब्रह्म बोधि द्वारा
अध्यक्ष, गीता ग्लोबल फ़ैमिली, वृंदावन, उत्तर प्रदेश
www.brahmbodhi.in/www.gitaglobalfamily.org/
Email: brahmbodhi@gmail.com

क्या संसद को सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की उन्नति, समन्वय तथा पारदर्शी वित्तपोषण के लिए एक वैधानिक संस्थागत ढाँचा स्थापित करने की विधायी क्षमता प्राप्त है, बशर्ते संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत धार्मिक सम्प्रदायों को प्राप्त स्वायत्तता सुरक्षित रखी जाए?

इस रूप में प्रस्तुत किए जाने पर सनातन सेवा निधि अधिनियम के प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त संवैधानिक आधार उपलब्ध हैं। किंतु मैं यह नहीं कहूँगा कि हमारे वर्तमान विधेयक के **प्रत्येक प्रावधान को** अनिवार्य रूप से संवैधानिक माना जा सकता है, जब तक कि प्रतिष्ठित संविधान विशेषज्ञ उसके वास्तविक पाठ की गहन कानूनी समीक्षा न कर लें। यह अंतर महत्त्वपूर्ण है।

1. सर्वप्रथम विधायी क्षमता का प्रश्न : समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28

संविधान विशेषज्ञों के समक्ष मैं सबसे पहले इसी प्रावधान को रखूँगा।

संविधान की **सातवीं अनुसूची की सूची** III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 28 में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं :

"धर्मार्थ कार्य और धर्मार्थ संस्थाएँ, धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यास एवं धार्मिक संस्थाएँ।"

संविधान के **अनुच्छेद 246(2)** के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।

हमारे प्रस्ताव के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं तथा धार्मिक न्यासों से संबंधित कानून बनाना संविधान द्वारा निर्धारित विधायी क्षेत्र के बाहर का विषय नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा सिख गुरुद्वारा** मामले में भी समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 पर स्पष्ट रूप से विचार किया है।

इसलिए मैं संविधान विशेषज्ञों के समक्ष यह प्रश्न रखूँगा :

"यदि संसद वक्फ से संबंधित कानून बना सकती है और विधानमंडल सिख तथा हिंदू धार्मिक न्यासों के लिए वैधानिक संस्थागत व्यवस्थाएँ स्थापित कर सकते हैं, तो सनातन सेवा निधि के लिए कानून बनाने में विधायी क्षमता का अभाव वास्तव में कहाँ है?"

इस प्रश्न से आपत्ति करने वाले को केवल यह कहने के बजाय कि "धर्म और राज्य को अलग-अलग रहना चाहिए", अपनी आपत्ति का विशिष्ट संवैधानिक आधार स्पष्ट करना होगा।

2. अनुच्छेद 25 स्वयं धार्मिक संस्थाओं से संबंधित कानून बनाने की संभावना स्वीकार करता है

संविधान का **अनुच्छेद 25(1)** अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की रक्षा करता है।

किंतु **अनुच्छेद 25(2)(क)** राज्य को धार्मिक आचरण से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों का विनियमन करने की स्पष्ट अनुमति देता है :

"आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक गतिविधियाँ, जो धार्मिक आचरण से संबंधित हों।"

अनुच्छेद 25(2)(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने तथा सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और समुदायों के लिए खोलने की भी अनुमति देता है।

यह अंतर अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

सनातन सेवा निधि से संबंधित कानून के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को निर्देश दे कि :

वह किस देवता की उपासना करे;
किन धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांतों में विश्वास करे;
किस मंत्र का जप करे;
कौन-सा सम्प्रदाय सही है;
किसी मंदिर में पूजा किस प्रकार की जाए।

ऐसे विषयों में हस्तक्षेप करने से अनुच्छेद 25 और 26 से संबंधित गंभीर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके विपरीत, स्वैच्छिक अंशदान का संग्रह, लेखा-व्यवस्था, लेखापरीक्षा, व्यय, अनुदान, शैक्षिक कार्यक्रम, ग्रंथों का प्रकाशन, प्रशिक्षण, प्रशासन और पारदर्शिता मुख्यतः संस्थागत, वित्तीय तथा लौकिक-प्रशासनिक विषय हैं।

इस आधार पर हमारे प्रस्ताव को कहीं अधिक सुदृढ़ संवैधानिक आधार प्राप्त होता है।

3. अनुच्छेद 26 संभवतः सबसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है

संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है :

(क) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करना;

(ख) धार्मिक विषयों में अपने कार्यों का स्वयं प्रबंधन करना;

(ग) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका अर्जन करना; और

(घ) ऐसी संपत्ति का "विधि के अनुसार" प्रशासन करना।

अनुच्छेद 26(घ) में प्रयुक्त "विधि के अनुसार" शब्द विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

शिरूर मठ मामले में प्रतिपादित सुप्रसिद्ध संवैधानिक सिद्धांत यह है कि धार्मिक विषयों और संपत्ति के प्रशासन के बीच संवैधानिक दृष्टि से अंतर है।

राज्य किसी धार्मिक सम्प्रदाय से उसके धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार नहीं छीन सकता, **किंतु धार्मिक संपत्ति के लौकिक प्रशासन को कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है।**

रतिलाल पानाचंद गांधी मामले में इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया। उसके अनुसार विनियमन की अनुमति अवश्य है, किंतु कानून किसी धार्मिक सम्प्रदाय से उसकी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार पूरी तरह छीनकर उसे किसी बाहरी लौकिक प्राधिकारी को हस्तांतरित नहीं कर सकता।

इससे विधेयक के प्रारूप के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा-उपाय सामने आता है।

सनातन सेवा निधि का उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों को सहयोग और सुविधाएँ प्रदान करना होना चाहिए, न कि मंदिरों, मठों, सम्प्रदायों अथवा अन्य धार्मिक संस्थाओं के धार्मिक सिद्धांतों और आंतरिक धार्मिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करना।

अंततः यह अंतर अधिनियम के नाम से भी अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

4. सिख गुरुद्वारों से संबंधित विधायी उदाहरण विशेष रूप से उपयोगी है

यह वास्तव में हमारे पक्ष में सबसे सशक्त उदाहरणों में से एक है।

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 ने सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक वैधानिक ढाँचा स्थापित किया था। हाल में **हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014** को भी संवैधानिक आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस अधिनियम द्वारा कुछ निर्दिष्ट सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक वैधानिक विधिक निकाय की स्थापना की गई थी।

हमारे उद्देश्य की दृष्टि से इससे भी अधिक उपयोगी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत विधायी क्षमता पर विचार किया तथा धार्मिक संस्थाओं से संबंधित विधायी क्षेत्रों को मान्यता दी।

इस आधार पर संविधान विशेषज्ञों के समक्ष एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न रखा जा सकता है :

यदि सिख धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन के लिए कानून द्वारा एक वैधानिक निकाय की स्थापना संवैधानिक रूप से संभव है, तो कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत संसद को सनातन धर्म के धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक स्वायत्त वैधानिक निकाय स्थापित करने से रोकता है?

इस प्रश्न का उत्तर केवल 'धर्मनिरपेक्षता' नहीं हो सकता, क्योंकि सिख गुरुद्वारों से संबंधित कानून भी इसी धर्मनिरपेक्ष संविधान के अंतर्गत अस्तित्व में है।

5. वक्फ संबंधी कानून तुलनात्मक तर्क को और अधिक सशक्त बनाते हैं

भारत में कई दशकों से वक्फ संबंधी वैधानिक व्यवस्था विद्यमान है। इस क्रम में वक्फ अधिनियम, 1995 तथा उसके बाद 2025 के संशोधन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इस संबंध में हाल का संवैधानिक मुकदमा हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29, 30 और 300क के आधार पर अधिनियम के कुछ विशिष्ट प्रावधानों को चुनौती दी थी।

सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय में संपूर्ण वक्फ कानून के प्रवर्तन पर रोक नहीं लगाई गई। न्यायालय ने कुछ विशिष्ट प्रावधानों के संबंध में हस्तक्षेप किया और साथ ही कानूनों की संवैधानिकता के पक्ष में विद्यमान विधिक उपधारणा को दोहराया।

यह तर्क केवल इतना कहने की अपेक्षा विधिक दृष्टि से कहीं अधिक उपयोगी है कि 'यदि वक्फ अधिनियम हो सकता है, तो सनातन अधिनियम भी हो सकता है।'

सही संवैधानिक तर्क यह है :

संविधान किसी विशेष धर्म से संबंधित वैधानिक संस्थागत व्यवस्था की स्थापना को अपने आप में निषिद्ध नहीं करता। ऐसी व्यवस्था की संवैधानिक वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित विधानमंडल को कानून बनाने की क्षमता प्राप्त है या नहीं, उसका वर्गीकरण और उद्देश्य क्या है, उसकी संस्थागत संरचना कैसी है तथा उसके किसी विशिष्ट प्रावधान से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं होता।

6. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत गंभीर संवैधानिक आपत्ति उठाई जा सकती है

संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

कोई व्यक्ति यह प्रश्न उठा सकता है :

'राज्य सनातन धर्म के लिए एक विशेष वैधानिक संस्था की स्थापना क्यों करे?'

किंतु अनुच्छेद 14 सभी प्रकार के वर्गीकरण को निषिद्ध नहीं करता। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या संबंधित वर्गीकरण का कोई संवैधानिक रूप से स्वीकार्य आधार है और क्या प्रस्तावित वैधानिक व्यवस्था का उसके वैध उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध है।

यहाँ इसके विपरीत एक दिलचस्प तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि मुस्लिम वक्फों और सिख गुरुद्वारों से विशेष रूप से संबंधित कानून बनाना संवैधानिक रूप से संभव है, तो किसी अन्य कानून का केवल हिंदू अथवा सनातन धर्म से विशेष रूप से संबंधित होना, अपने आप में उसे असंवैधानिक नहीं बना सकता।

फिर भी संविधान विशेषज्ञों को यह जाँच अवश्य करनी चाहिए कि हमारे प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक लाभ, अधिकार, विशेषाधिकार अथवा छूट के लिए पर्याप्त संवैधानिक औचित्य उपलब्ध है या नहीं।

7. अनुच्छेद 15 की अलग से जाँच आवश्यक है

संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

इस प्रावधान में 'केवल' शब्द विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

किसी विशेष प्रकार की धार्मिक संस्थाओं से संबंधित कानून केवल इसलिए स्वतः असंवैधानिक नहीं हो जाता कि उसका वर्गीकरण धार्मिक आधार पर किया गया है।

यदि ऐसा होता, तो वक्फ अथवा सिख गुरुद्वारों से संबंधित कानूनों के अस्तित्व पर ही संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाता, क्योंकि वे उन धार्मिक संस्थाओं की पहचान करते हैं जिन पर संबंधित कानून लागू होता है।

8. अनुच्छेद 27 पर अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार आवश्यक है

वास्तव में यह उन संवैधानिक प्रावधानों में से एक है जिनके संबंध में मैं विशेष रूप से किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की राय लेना चाहूँगा।

संविधान का अनुच्छेद 27 किसी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है, जिनसे प्राप्त धनराशि विशेष रूप से किसी धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या उसके पोषण के लिए विनियोजित की जाती है।

यही कारण है कि हमारे प्रस्ताव की एक विशेष व्यवस्था संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है :

8. अनुच्छेद 27 : स्वैच्छिक अंशदान का संवैधानिक महत्त्व (जारी)

सनातन सेवा निधि स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित है, न कि अनिवार्य कराधान पर।

यदि प्रस्ताव के अनुसार सामान्य करदाताओं पर कोई अनिवार्य कर नहीं लगाया जाता और सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाती, तो अनुच्छेद 27 के आधार पर उठाई जाने वाली संवैधानिक आपत्ति काफी कमजोर हो जाती है।

वास्तव में, **शिरूर मठ** मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 27** पर विचार करते हुए धार्मिक गतिविधियों के विनियमन के लिए अनुमेय वित्तीय व्यवस्था और किसी धर्म के प्रचार या पोषण के लिए लगाए जाने वाले कर के बीच अंतर स्पष्ट किया था।

फिर भी मैं वरिष्ठ अधिवक्ता से अनुरोध करूँगा कि वे निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रत्येक प्रावधान की सावधानीपूर्वक जाँच करें :

- सरकारी अनुदान;
- कर संबंधी प्रावधान और रियायतें;
- अनिवार्य अंशदान;
- प्रशासनिक व्यय; तथा
- भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)।

वित्तपोषण से संबंधित कोई एक अस्पष्ट अथवा अनुचित शब्दों में तैयार किया गया प्रावधान भी अनावश्यक रूप से अनुच्छेद 27 के अंतर्गत संवैधानिक विवाद उत्पन्न कर सकता है।

9. अनुच्छेद 28 से संबंधित संवैधानिक जोखिम अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है

संविधान का **अनुच्छेद 28** मुख्यतः उन शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित है जिनका संचालन राज्य द्वारा किया जाता है अथवा जिन्हें राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त होती है।

यह प्रावधान उस स्थिति में महत्त्वपूर्ण हो सकता है जब सनातन सेवा निधि स्वयं ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करे अथवा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करे, जिनमें अनिवार्य धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था हो।

किंतु धार्मिक साहित्य का वितरण, अनुसंधान, धर्मग्रंथों का स्वैच्छिक अध्ययन, धार्मिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आदि गतिविधियाँ अपने आप में **अनुच्छेद 28** का उल्लंघन नहीं बन जातीं।

इस संबंध में संस्थाओं की वास्तविक संरचना और उनकी कार्यप्रणाली का विशेष महत्त्व होगा।

10. अनुच्छेद 29 और 30

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित हैं।

ये प्रावधान मुख्यतः इसलिए प्रासंगिक हैं कि प्रस्ताव का कोई विरोधी यह तर्क दे सकता है कि संविधान ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष संस्थागत संरक्षण प्रदान किए हैं।

किंतु अनुच्छेद 29 और 30 में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि संसद बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं के संबंध में कानून नहीं बना सकती।

ऐसा निष्कर्ष समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 तथा हिंदू धार्मिक न्यासों से संबंधित कानूनों के लंबे इतिहास के साथ सामंजस्य स्थापित करना कठिन बना देगा।

11. धर्मनिरपेक्षता और संविधान की मूल संरचना

यह संभवतः प्रस्ताव के विरुद्ध सबसे व्यापक संवैधानिक आपत्ति हो सकती है :

"एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सनातन सेवा निधि की स्थापना नहीं कर सकता।"

किंतु भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य धर्म से संबंधित किसी विषय पर कभी कानून बना ही नहीं सकता।

संविधान के अनुच्छेद 25(2), अनुच्छेद 26(घ), सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 तथा वक्फ, हिंदू धार्मिक न्यासों और सिख गुरुद्वारों से संबंधित कानून स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हैं।

वास्तविक संवैधानिक प्रश्न कहीं अधिक सूक्ष्म है :

क्या राज्य किसी धार्मिक सिद्धांत को स्थापित अथवा अनिवार्य कर रहा है, या वह धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए धर्म से संबंधित संस्थागत, धर्मार्थ, वित्तीय अथवा प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना या उसका विनियमन कर रहा है?

इन दोनों स्थितियों में मूलभूत अंतर है।

संविधान विशेषज्ञों के समक्ष विचारार्थ छह प्रमुख प्रश्न

मेरा सुझाव है कि संविधान विशेषज्ञों के समक्ष निम्नलिखित छह प्रश्न विशेष रूप से रखे जाएँ।

1. विधायी क्षमता

क्या संसद को मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 246 तथा सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 के अंतर्गत सनातन सेवा निधि अधिनियम बनाने की विधायी क्षमता प्राप्त है? क्या इसके अतिरिक्त अन्य संवैधानिक प्रविष्टियाँ भी प्रासंगिक हैं?

2. अनुच्छेद 14 और 15 : समानता तथा भेदभाव का प्रश्न

क्या सनातन धर्म से विशेष रूप से संबंधित एक वैधानिक संस्था की स्थापना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण है, विशेषकर वक्फ तथा सिख गुरुद्वारों से संबंधित विद्यमान कानूनों को ध्यान में रखते हुए?

3. अनुच्छेद 25 और 26 : धार्मिक स्वतंत्रता और सम्प्रदायों की स्वायत्तता

क्या हमारे प्रस्तावित विधेयक का कोई प्रावधान लौकिक प्रशासन के विनियमन अथवा सहयोग की संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण करके धार्मिक सिद्धांतों या सम्प्रदायों के आंतरिक धार्मिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करता है?

4. अनुच्छेद 27 : वित्तपोषण की संवैधानिकता

क्या स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित तथा अनिवार्य कराधान से मुक्त हमारा प्रस्तावित वित्तीय मॉडल अनुच्छेद 27 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली प्रमुख संवैधानिक आपत्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है?

क्या इसके बावजूद विधेयक के किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठ सकता है?

5. धर्मनिरपेक्षता और संविधान की मूल संरचना

क्या केवल इस आधार पर सनातन सेवा निधि अधिनियम को संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है कि उसके वैधानिक उद्देश्य सनातन धर्म से संबंधित हैं, जबकि वक्फ, सिख गुरुद्वारों तथा हिंदू धार्मिक न्यासों के लिए पहले से वैधानिक व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं?

6. प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांत

निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं :

(क) हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2022)

यह निर्णय विशेष रूप से उपयोगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा तथा धार्मिक संस्थाओं से संबंधित विधायी क्षमता के प्रश्न पर स्पष्ट रूप से विचार किया।

(ख) कमिश्नर, हिंदू रिलिजियस एंडोमेंट्स बनाम श्री लक्ष्मीन्द्र तीर्थ स्वामियार (शिरूर मठ मामला), 1954

यह निर्णय धार्मिक सम्प्रदायों के संरक्षित धार्मिक मामलों और धार्मिक संपत्ति के विनियमनीय लौकिक प्रशासन के बीच संवैधानिक सीमा निर्धारित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

(ग) रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बम्बई राज्य, 1954

यह निर्णय इस सिद्धांत के लिए महत्त्वपूर्ण है कि धार्मिक संपत्ति के प्रशासन का विनियमन किया जा सकता है, किंतु किसी धार्मिक सम्प्रदाय को उसके प्रशासनिक अधिकारों से पूर्णतः वंचित कर देना और उन अधिकारों को किसी बाहरी प्राधिकारी को सौंप देना अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो सकता है।